(8)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र06-विविध-50/10 5960 /खाद्य,पटना/दिनांक 5/7/2011

प्रेषक,

के0 सी0 झा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अच्छी गुणवता का खाद्यान्न उठाव करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र सं0- 4025 दिनांक 07.11.07 द्वारा अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न आपूर्ति करने के संबंध में व्यापाक दिशा-निदेश दिये गये है । इसके अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न निर्गत होने के समय भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि, राज्य खाद्य निगम के प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के एक प्रतिनिधि के साथ संयुक्त नमूना लेकर तथा अच्छी गुणवता होने की स्थिति में ही राज्य खाद्य निगम द्वारा इसका उठाव कराने एवं इस नमूनों की एक प्रति जिला प्रशासन के पास सुरक्षित रखने तथा नमूनें की एक प्रति संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को भी भेजने का प्रावधान किया गया है । इसका अनुपालन करने हेतु विभागीय पत्र संख्या- 6164 दिनांक 13.10.10 एवं पत्र संख्या- 690 दिनांक 02.02.11 द्वारा आग्रह भी किया गया है ।

माननीय मंत्री द्वारा भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों के निरीक्षण के क्रम में अच्छी गुणवता के खाद्यान्न के साथ-साथ घटिया किस्म के अनाज को भी गोदामों में रखा हुआ पाये जाने पर भारत सरकार का ध्यान इस बिन्दु की ओर आकृष्ट कराया गया जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा भी भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अनाज उठाव करते समय निरीक्षक या उससे उपर स्तर के पदाधिकारी की उपस्थिति में Joint Sampling करने पर बल दिया गया है ।

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन अच्छी गुणवता के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन करने की आवश्यकता है :-

(i) भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव करते समय विहित प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य रूप से Joint Sampling करायी जाय ।

(ii) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टाक की सुपुर्दगी लेने के लिए जिला द्वारा तैनात किया जाने वाला अधिकारी निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए ।

(9)

(iii) खाद्यान्न की ढुलाई और वितरण श्रृंखला में विभिन्न अवस्थाओं में भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की अपेक्षित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियां बनी रहें इसके लिए जिला प्रबंधकों को आवश्यक निदेश दिया जाना अपेक्षित है ।

(iv) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अच्छी गुणवता का खाद्यान्न उठाव करने का दायित्व गोदाम प्रबंधकों का है । घटिया किस्म के खाद्यान्न उठाव करने वाले गोदाम प्रबंधकों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाय इसके साथ ही इसके लिए संबंधित जिला प्रबंधक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है ।

वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि उक्त निदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव ।